न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 235/2020 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00235)

1. विदरू पुत्र शिवलाल
2. मुखराम पुत्र गोपीराम
3. ज्ञानी पुत्र सरूप
4. हरभान पुत्र रामजीलाल

जाति गूजर निवासी ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर।
2. पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार भरतपुर द्वारा प्रबन्ध निदेशक ।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 24.9.2007 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर पत्रावली कमांक/राजस्व/12/12 (80)/ 07

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।

नि र्ण य

दिनांकः– 4.4.2023

यह अपील जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जारी किये गये भूमि आवंटन आदेश कमांक राजस्व/12/12 (80)/07/81 दिनांक 24.9.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.14 (1) राज.6/05 पार्ट 16 दिनांक 18.4.2007 के अनुसरण में उपखण्डाधिकारी कामां के प्रस्तावानुसार ग्राम बरनौल ग्राम पंचायत तहसील कामां स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 2.70 है0 किस्म वारानी कदीम भूमि में से 0.16 है0 भूमि की किस्म खारिज करते हुये राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अंतर्गत वर्णित शर्तों एवं अनुबन्धों पर उक्त भूमि बृज चौरासी कोस परिकमा मार्ग ग्राम बरनौल तहसील कामां में यात्री शेड (विश्राम स्थल) निर्माण हेतु पर्यटन विभाग (पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार) भरतपुर को निशुल्क आवंटित की गई है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट का कथन है कि खसरा नम्बर 100/16–14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां की उक्त भूमि उसके पूर्वजों की मिलकीयत व खुदकाश्त खातेदारी में रही है इसलिऐ जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2007 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2007 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलान्ट के कब्जे एवं खातेदारी के खसरा नम्बर 100/16–14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां से 0.16 हैक्टेयर भू–भाग का उत्तरवादी संख्या 1 के द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 को विश्राम स्थल निर्माण के लिऐ खण्डनाधीन आदेश 24.9.2007 दिया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। आराजी खसरा नम्बर 100/16–14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर अन्य आराजी के साथ अपीलान्ट के पूर्वज शिवलाल सदरो व सुन्दर पुत्रान गंगल की मिलकीयत व खुदकाश्त में रही है। जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में खाता संख्या 1 व खेवट संख्या 1 पर उक्त आश्य के इन्द्राज भी अंकित रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व राज0 जमीदारी व विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत 2012 व सम्वत 2016 दोनों ही समय यह आराजी अपीलान्ट के उक्त पूर्वजों की खेवट व खुदकाश्त में होने के कारण आराजी पर अन्य आराजी के साथ उन्हें खातेदार अधिकार (मालिक काश्तकार) प्राप्त हो गए थे। जिन्हें अपीलान्ट ने पूर्वजों के मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी उक्त आवंटन आदेश के दिन अपीलान्ट व उसके पूर्वजों की खातेदारी में एवं कब्जे काश्त में रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार की भूमि को उत्तरवादी संख्या 2 को आवंटन किये जाने का आदेश देने में भारी त्रुटी की है। कथित आवंटन हेतु विवादित भूमि कभी खाली नहीं रही है बल्कि अपीलान्ट व उनके पूर्वजों द्वारा अधिगृहित रही है। अपीलान्ट को बिना बेदखल किये, बिना सुने और बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश देने में जिला कलक्टर भरतपुर ने भारी त्रुटी की है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ प्राधिकारी ने नियमों की कोई पालना नहीं की। न तो किसी प्रकार का कोई नोटिस उज्रदारी जारी किये गये और न ही मौके के संबंध में पटवारी/गिरदावर से वास्तविक कब्जे काश्त होने की कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। जिला कलक्टर ने अपने स्तर पर ही एकतरफा में कागजी कार्यवाही करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। उक्त आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व न तो कोई उदघोषणा जारी की गई और न ही नोटिस हरखासोआम का कथित आवंटन/आरक्षण के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संबंध में आम सूचना हेतु जारी किए गए। इसलिए अपीलाधीन आदेश सामान्य न्याय प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर के अलावा खाते में अंकित अन्य भूमियों के संबंध में अपीलान्ट के पूर्वजों को धारा 5(4) व 29(7) राज0 जमीदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। केवल विवादित नम्बर को ही राजस्व कर्मचारियों की गलती से बंजर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इसकी वजह से उक्त आवंटन आदेश गलत जारी हुआ है जो कि निरस्तनीय है। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं देकर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी को उत्तरवादी संख्या 2 को गलत रूप से आवंटित करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश के बने रहने से अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। अपीलान्ट की ओर से उक्त आरक्षण आदेश के विरूद्ध अपील पेश किए जाने की अनुमति हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र भी अदालत हाजा में पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 10.09.2017 को इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर अपीलान्ट ने इस मामले की जांच करायी है और जांच होने पर दिनांक 11.09.2017 को खण्डनाधीन आदेश की नकल लेने हेतु अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जिस पर दिनांक 14.09.2017 को नकल आदेश तहत मिली है और आदेश तहत की वास्तविक जानकारी हुई है जानकारी होने के दिन से यह अपील अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर मियाद पेश की गयी है। अपील को पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2007 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निस्तारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ मियाद को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.09.2017 को होने व उक्त आदेश की नकल दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया है। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व में रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी निम्न नजीरों में मियाद के बिन्दु के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये तथा तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिये। जो कि निम्नानुसार है।

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0वी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पर में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.09.2007 के आधार पर पारित किया गया है। तहसीलदार कामां ने पत्र के साथ आवंटन के संबंध में भिजवायी गई चैक लिस्ट में यह उल्लेख किया है कि विवादित खसरा नंबर 100 रकबा 2.70 किस्म जमीन बंजर कदीम है। इसी पत्र के साथ विवादित भूमि के संबंध में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2007 में यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 100 की किस्म बंजर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कदीम है। यह खसरा नंबर पूर्व में जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश अनुसार राजकीय भवनों व स्कूल फील्ड हेतु आरक्षित है। नोट जमाबन्दी की नकल पर सुर्खी से दर्ज है। मौके पर कोई विवाद व केस नहीं है। रकबा वर्तमान में खाली है। यह खसरा नंबर कुल 2.70 हैक्टेयर का है। इसमें से पूर्व में माध्यमिक विद्यालय विलौंद को किया गया है। इसी रकबा में लगभग 0.16 एयर रकबा विश्राम स्थल के लिए उपयुक्त रहेगा। यह मौका बृज चौरासी कोस यात्रा में आता है। प्रस्तावित विश्राम स्थल के लिए उपयुक्त स्थल है। मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी संवत् 2058–61, खसरा गिरदावरी संवत् 2062–65 की प्रति संलग्न की है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 100 की किस्म बंजर कदीम है तथा जिला कलक्टर द्वारा राजकीय भवनों एवं स्कूल फील्ड हेतु आरक्षित की गई है। मौके पर भूमि पडत है। इससे यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा विवादित भूमि जब रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटित की गई थी उस समय किस्म सिवायचक बंजर दर्ज थी तथा उक्त भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई भूमि में से थी तथा वक्त आवंटन उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा या काश्त नहीं थी। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी से हो रही है। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त आवंटन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.14 (1)राज.6/05/पार्ट 16 दिनांक 18.04.2007 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त आवंटन आदेश पटवारी हल्का, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त रिपोर्ट व प्रस्ताव के आधार पर जारी किए गए है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि विवादित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व राज0 जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत् 2012 व सम्वत् 2016 के समय अपीलान्ट के पूर्वजों के खेवट तथा खुद काश्त में दर्ज होने के कारण उक्त आराजी पर अन्य आराजी के साथ–साथ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। जो कि पूर्वजों की मरणोपरांत उत्तराधिकार में अपीलान्ट को प्राप्त हो गये हैं। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि गलत रूप से रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटित की गई है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वक्त आवंटन विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त अथवा खातेदारी में रही हो। दूसरी ओर मीमो आफ अपील के साथ जो

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिकार्ड संलग्न किया गया है उसमें विवादित भूमि जिसके संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आदेश जारी किया गया है की जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 व 2025–2029 में इस आशय का नोट अंकित किया हुआ है कि जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के मुताबिक 15.11.1959 से जमींदारी समाप्त की गयी है। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क सारहीन हो जाता है कि अपीलान्ट की कब्जेकाश्त तथा खातेदारी भूमि को राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अपीलान्ट के पूर्वजों की खुदकाश्त में दर्ज अन्य भूमि के खातेदारी में दर्ज होने तथा विवादित भूमि के खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने का जहां तक प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.04.2007 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों में वर्णित शर्तों व अनुबन्धों पर बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग एवं ग्राम बरनोल तहसील कामां में यात्रीशेड (विश्राम स्थल) निर्माण हेतु ग्राम बरनोल के खसरा नंबर 100 रकबा 2.70 हैक्टेयर किस्म बारानी कदीम में से 0.16 एयर भूमि पर्यटन विभाग (पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार) भरतपुर को निःशुल्क आवंटित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2007 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर